



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रौची।**



वन भवन, डोरण्डा, रौची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / योबजट-48B / 2015-**466** दिनांक : 19/08/20

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, रौची।

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल / मेदिनीनगर वन प्रमण्डल /
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल / लातेहार वन
प्रमण्डल / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल / कोडरमा
वन प्रमण्डल / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल / हजारीबाग पूर्वी वन
प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,
कोडरमा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक
योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का
रोपण तथा गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) हेतु कुल
रुप 17.222 लाख (सतरह लाख बाईस हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि
का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योबजट-70 / 2015-60 / स्वी0 व0प0
दिनांक-07.03.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-28 /
2019- 07 / आ0 व0प0 दिनांक 05.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के
लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण
योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रुप 17.222
लाख (सतरह लाख बाईस हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन
निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	17.222
कुल :-		17.222

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर
वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने
कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को सम्मय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति
प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑनलाइन
उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601789580103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विषयों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सलत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची के समय पत्रांक—1254 दिनांक—20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक



16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य व्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation संसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-48B / 2015- ५५६ दिनांक- 19/8/2010

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ चतरा/ हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-48B / 2015- ५५६ दिनांक- 19/8/2010

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ लातेहार/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

**वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातीयों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत
अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं
वित्तीय लक्ष्य**

राशि (रु० लाख में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			1878.22	0.00	1878.22
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	60	1.127	0.000	1.127
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	25	0.470	0.000	0.470
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	30	0.563	0.000	0.563
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	30	0.563	0.000	0.563
5	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	70	1.315	0.000	1.315
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	60	1.127	0.000	1.127
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	60	1.127	0.000	1.127
8	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	60	1.127	0.000	1.127
9	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	60	1.127	0.000	1.127
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	60	1.127	0.000	1.127
11	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	60	1.127	0.000	1.127
12	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	60	1.127	0.000	1.127
13	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	60	1.127	0.000	1.127
	योग :-	695	13.054	0.000	13.054

अनुलग्नक-१ (ख)

**वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातीयों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र
बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं
वित्तीय लक्ष्य**

राशि (रु० लाख में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			1878.22	0.00	1878.22
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	30	0.563	0.000	0.563
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	30	0.563	0.000	0.563
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	30	0.563	0.000	0.563
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	25	0.470	0.000	0.470
5	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	17	0.319	0.000	0.319
6	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	60	1.127	0.000	1.127
	योग :-	192	3.605	0.000	3.605

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत
गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं
वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			1878.22	0.00	1878.22
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	30	0.563	0.000	0.563
	योग :-	30	0.563	0.000	0.563
	सकल योग :-	917	17.222	0.000	17.222

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/योब०-७०/२०१५-६०/स्वी० व०प० दिनांक 07.03.2017



अपर प्रधान सुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनमूमि / गैर पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेठो), अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेठो) एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेठो) तथा तसर वृक्षारोपण

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) सम्पोषण कार्य (भंडाम वर्ष)							
1	पौधों की सुरक्षा (60 हेठो तक)	स्थल	7.30	1878.22	0.00	1878.22	
	योग—		7.30	1878.22	0.00	1878.22	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची



सारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामग्रे अंकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/456

दिनांक - 19-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के निए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38034	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	112,700.00 रुपये एक लाख बारह हजार साल सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के निए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38036	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	163,400.00 रुपये एक लाख तीरसठ हजार चार सौ
योगः				276,100.00
क्रमिक योगः	रुपये दो लाख छहत्तर हजार एक सौ		(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38037	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	169,000.00 रुपये एक लाख उनहत्तर हजार
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38038	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV. GARHWA	169,000.00 रुपये एक लाख उनहत्तर हजार
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38040	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	112,700.00 रुपये एक लाख बारह हजार सात सौ
<hr/>				
योगः				450,700.00
क्रमिक योगः	रुपये साल लाख छब्बीस हजार आठ सौ			726,800.00
<hr/>				

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEV, JHARKHAND



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन घटा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601789580103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38041	CTRFOR002 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	रुपये दो लाख पच्चीस हजार चार सौ 225,400.00
7	S 19 240601789580103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38045	CTRFOR003 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	रुपये एक लाख उनहत्तर हजार 169,000.00
8	S 19 240601789580103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38046	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	रुपये एक लाख बारह हजार सात सौ 112,700.00
<hr/>				
योगः 507,100.00				
क्रमिक योगः 1,233,900.00				

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND



क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38051	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	159,700.00 रुपये एक लाख उनसठ हजार सात सौ
10	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38053	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	112,700.00 रुपये एक लाख बारह हजार सात सौ
11	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38057	DGRFORE87 PREMJIT ANAND D.F.O. S.F.DIV.. DGR	47,000.00 रुपये सैतालीस हजार
<hr/>				
योगः				319,400.00
क्रमिक योगः	रुपये पंद्रह लाख तीरपन हजार तीन सौ			1,553,300.00

(NANAKISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष बटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भन्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38061	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERM/	112,600.00 रुपये एक लाख बारह हजार छ: सौ
13	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष बटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भन्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38064	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	56,300.00 रुपये छप्पन हजार तीन सौ
योग:				168,900.00
क्रमिक योग:	रुपये स त्र ह लाख बाइस हजार दो सौ			1,722,200.00


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND